वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2003

(आयकर)

का.आ. 306(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xiiiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यू जीवन धारा-I और न्यू जीवन अक्षय-I योजनाओं को उक्त खंड (xiiiक) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त निगम द्वारा निगम की वार्षिकी योजनाओं के रूप में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ दाखिल किया गया है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 53/2003/फा. सं. 174/9/2001-आ.का.नि. I]

श्रीमती प्रोमिला भारद्वाज, निदेशक (आयकर निर्धारण-I)